संख्या-15/2019/1828/22-2-2018-17(428)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2019***

विषय:- जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्र किशोर पुत्र स्व0 राम भजन वर्मा, निवासी जनपद-कानपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-दया0 (दिनांक 07.08.2018) दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी चन्द्र किशोर पुत्र स्व0 राम भजन वर्मा, जो एन-106, आवास विकास-1, केशवपुरम, जनपद-कानपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा फर्म में मैनेजर के पद पर तैनाती के दौरान कैश इन हैंड, कैश बुक व एकाउन्ट बुक बिना हैण्ड ओवर किये फर्म छोड़कर दिनांक 01.03.1983 को चले जाने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को क्रिमिनल अपील संख्या-09/1991 में भा0द0वि0 की धारा-408 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, इटावा के आदेश दिनांक 03.01.1992 द्वारा 03 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.02.2015 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29.09.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.12.2017 तक 01 वर्ष 02 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष 06 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी के द्वारा काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी चन्द्र किशोर (बन्दी संख्या-5233/16) पुत्र स्व0 राम भजन वर्मा, निवासी जनपद-कानपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-15/2019/1828(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कानपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in